राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा ,सोनभद्र

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु हॉस्टल आवंटन संबंधी सूचना

सत्र 2024 -25

दिनांक :- 09.12.2024

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा,सोनभद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के संस्थागत छात्रों को सूचित किया जाता है कि हॉस्टल में रहने के इच्छुक छात्र महाविद्यालय की वेबसाइट(Website) http://www.gpgcobra.ac.in/ से हॉस्टल का फॉर्म डाउनलोड करके उसे सुंदर राइटिंग में भरकर उसकी हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय के कार्यालय में दिनांक : 20.12.2024 तक अवश्य जमा कर दें।

(प्रो०प्रमोद कुमार)	(डॉ०विजय प्रताप यादव)	(डॉ० अमूल्य कुमार सिंह)
प्राचार्य	सहायक प्रशासनिक गृहपति	मुख्य प्रशासनिक गृहपति

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र, उ०प्र०

(सम्बद्ध:-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

(पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु प्रवेश आवेदन-पत्र)

नोट :- आवेदन पत्र अपूर्ण न छोड़े । अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा ।

कक्षा .... भाग................ सत्र..2024-25

नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो

1- छात्र का नाम :--...

2- पिता का नाम :--...

3- माता का नाम :---...

4- जन्म तिथि :---..

5- जाति वर्ग :-......................... उपजाति.................

6- स्थायी पता (वर्तमान निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें):----

ग्राम.....................................पोस्ट....................................थाना...... ....

तहसील.................... .जिला..................... .राज्य...................... .पिनकोड.................

7 – स्थानीय अभिभावक का नाम :---.. सम्बन्ध.......

8-स्थानीय पता :---...

9- विगत वर्ष के विद्यालय/कॉलेज का नाम................

10- विगत वर्ष का परीक्षाफल :- पूर्णांक.......... . प्राप्तांक .... .प्रतिशत.......

11- पिता/माता/अभिभावक का व्यवसाय.................... ..वार्षिक आय..........

12- उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि.............

13-स्थायी निवास से महाविद्यालय की दूरी (किमी०में)................

14- छात्र का मोबाइल नम्बर..................................पिता का मोबाइल नम्बर....................

15- छात्र का आधार नम्बर :--................................ पिता का आधार नम्बर ....

तिथि .... छात्र का पूरा हस्ताक्षर

छात्र द्वारा प्रतिज्ञा पत्र

मैं..पुत्र..कक्षा............

छात्रावास के संपूर्ण नियम पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूं कि आवेदन पत्र में दी गई संपूर्ण सूचना सत्य एवं सही है । कोई भी विवरण असत्य पाए जाने पर मुझे छात्रावास से निष्कासित व अन्य नियमानुसार देयदंड स्वीकार होगा।

दिनांक.........................   छात्र का पूरा हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष की संस्तुति

श्री ....पुत्र श्री... कक्षा.................. खण्ड...................का........................... विभाग में प्रवेश हो चुका है । मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश शुल्क रसीद संख्या............... .तिथि.............

दिनांक...................   विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर

कुलानुशासक की संस्तुति

श्री...पुत्र.....................................   कक्षा...........

खण्ड............. का आचरण संतोषजनक है । मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है ।

दिनांक :---   कुलानुशासक के हस्ताक्षर व मुहर

(प्रो०प्रमोद कुमार)	(डॉ०विजय प्रताप यादव)	(डॉ० अमूल्य कुमार सिंह)
प्राचार्य	सहायक प्रशासनिक गृहपति	मुख्य प्रशासनिक गृहपति

हास्टल आवंटन की सूची प्रकाशित होने के बाद ₹10/= के स्टांप पर नोटरी द्वारा प्रमाणित पिता/माता/अभिभावक का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर जमा करना होगा------

पिता/माता/अभिभावक का शपथ-पत्र

★ मेरा पुत्र ....राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र में कक्षा ....में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हैं ।

★★ मैं अपने पुत्र ....कक्षा............................ के लिए महाविद्यालय के हास्टल में रहकर अध्ययन करने की सुविधा दिलाना चाहता हूँ ।

★★★ महाविद्यालय के छात्रावास सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य है तथा मेरे पुत्र /पाल्य द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा मुझे मान्य होगा

दिनांक ....   पिता /माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

(कार्यालय द्वारा भरा जाय)

1- छात्रावास शुल्क जमा करने की रसीद संख्या :--................................. तिथि...................
2- छात्र का नाम ....   कक्षा ....
3- छात्रावास का नाम :--... ..आवंटित कक्ष संख्या.............

कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर   सहायक गृहपति के हस्ताक्षर   मुख्य गृहपति के हस्ताक्षर

हास्टल आवेदन फॉर्म के साथ निम्न प्रणाम-पत्र संलग्न करे.........

1- वर्तमान सत्र के प्रवेश की फीस रसीद ।
2- वर्तमान सत्र का ग्रीन कार्ड ।
3- पिछले सत्र का अंक पत्र ।
4- वर्तमान सत्र का निवास प्रमाण-पत्र ।
5- वर्तमान सत्र का आय प्रमाण पत्र ।
6- जाति प्रमाण-पत्र
7- आधार कार्ड ।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र

[अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास-नियमावली]

महाविद्यालय में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराए गए छात्रावास के सत्र 2024-25में समुचित प्रबंधन एवं संचालन हेतु प्राचार्य की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित नियम बनाए गये व निर्णय लिए गए........

1- छात्रावास में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के संस्थागत छात्र ही छात्रावास आवंटन के पात्र होंगे । स्नातक कक्षा के छात्र अधिकतम 3 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अधिकतम 2 वर्ष छात्रावास में रह सकेंगे । हास्टल भूतपूर्व विद्यार्थी को आवंटन नहीं किया जाएगा । छात्रावास आवंटन का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा ।

2 - छात्रावास में प्रवेश के लिए निर्धारित छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट भरकर निश्चित तिथि तक जमा करना होगा ।

3- छात्रावास का शुल्क ₹2400/= 【रुपए दो हजार चार सौ मात्र 】 प्रति छात्र प्रति वर्ष होगा ।

छात्रावास शुल्क की धनराशि छात्रावास के रख-रखाव पर व्यय की जाएगी। जमा किया हुआ शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा । उपरोक्त शुल्क की दर शासन / छात्रावास प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में किए गए परिवर्तन के अधीन होगी ।

4- वार्डेन या प्राचार्य द्वारा छात्रावास के संचालन रख-रखाव अनुशासन आदि से संबंधित समय-समय पर निर्गत आदेशों , निर्देशों निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना , छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के लिए बाध्यकारी होगा ।

5- छात्रावास में निवास करने वाले छात्र द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता व नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित छात्र के विरुद्ध प्राचार्य द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

6-छात्रावास में बिजली का हीटर अथवा किसी प्रतिबंधित पदार्थ उपकरण आदि का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है , ऐसा करने पर संबंधित छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी

7-छात्रावास में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा अभिभावक से मिलने की सूचना भी वार्डन को देनी होगी ।

8- छात्रावास में साथियों के साथ बैठक करना , हल्ला करना , छात्रावास की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना , अनुशासनहीनता है । जो दंडनीय है ।

9 - मुख्यालय से बाहर जाने पर छात्रावास के वार्डन को सूचित करना अनिवार्य होगा ।

10- छात्रावास में छात्रों की सहमति पर नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मेस की व्यवस्था की जा सकती है ।

11- आग्नेयास्त्र या अन्य हथियार या प्रतिबंधित हथियार या लाइसेंसी हथियार रखना वर्जित होगा ।

12- छात्र के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा होने की स्थिति में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा या आवंटन नहीं होगा ।

13- छात्रावास के छात्र को अपनी कक्षा की लिखित परीक्षा समाप्त होने पर छात्रावास खाली करना होगा । वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत छात्रावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी ।

14- वार्डेन को लिखित अनुमति के बिना कोई भी छात्र छात्रावास छोड़कर निर्धारित समय के बाद छात्रावास से बाहर नहीं जाएगा । छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति वार्डेन द्वारा दी जाएगी ।

15- एन.सी.सी., एन.एस. एस. या विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छात्रावास से बाहर रहने की सूचना छात्रावास के वार्डेन को लिखित रूप में देनी होगी ।

16- बिना लिखित पूर्व अनुमति के हॉस्टल छोड़कर अन्यत्र निवासी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।

17- छात्रावास में मोटरसाइकिल इत्यादि रखने की अनुमति लेनी होगी ।

18-महाविद्यालय द्वारा छात्रावास में प्रतिबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सामान्य दैनिक वस्तुओं को छात्र की जिम्मेदारी पर रख सकते हैं ।

19-छात्रावासी छात्रों के लिए छात्रावास में मद्यपान, धुम्रपान या ड्रग्स लेना पूर्णतया वर्जित होगा । इन वस्तुओं को रखने मात्र पर भी छात्र के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

20- छात्रावास के बाहर या भीतर रैगिंग करना पूर्णतया वर्जित ।

21- छात्रावास की संपत्ति, फर्नीचर इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित छात्र को क्षतिपूर्ति करनी होगी ।

22- छात्रावासी छात्र द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई में लिप्त होना , अनैतिक कार्य करना दंडनीय है ।

23--प्राचार्य द्वारा दोषी छात्र को हास्टल से निष्कासित किया जा सकता है ।

24- आवंटित छात्र को हास्टल के किसी भी सामान का दुरुपयोग करना दंडनीय होगा । छात्र के अनुशासन में रहने ,बिजली,फर्नीचर आदि का दुरुपयोग न करने का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा ।

25 - प्राचार्य को किसी भी प्रकार की दशा में छात्रावास पूर्ण रूप से खाली कराने का अधिकार होगा ।

26- छात्रावास में समस्या उत्पन्न होने पर छात्र उसकी सूचना तत्काल मुख्य प्रशासनिक वार्डेन को देंगे।

27-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप छात्रावास में एक चौकीदार एवं सफाई कर्मी की नियुक्ति दैनिक मजदूर के रूप में की जाएगी ।

****

कुछ महत्वपूर्ण अंश

हास्टल के आवासित छात्रों हेतु आवश्यक निर्देश :--

1—हास्टल अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब और 50 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले छात्रों को ही आवंटित होगा ।

2- हास्टल में मिल-जुल कर रहें ।

3—हास्टल में शान्ति बनाये रखें ।

4—हास्टल को स्वयं साफ-सुथरा रखें ।

5—हास्टल में विद्‌युत हीटर का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है ।

6—हास्टल में धूम्रपान करना पूर्णतया वर्जित है ।

7—हास्टल में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषिद्‌ध है ।

8—हास्टल का मुख्य गेट रात्रि 10 बजे बन्द होगा और सुबह 6 बजे खुलेगा ।

9—हास्टल में सुबह उठकर योग/ध्यान /व्यायाम अवश्य करें ।

10—हास्टल में किसी भी प्रकार की असुविधा/समस्या होने पर तत्काल वार्डेन को सूचित करें ।

11–पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष हॉस्टल आवंटन नहीं होगा ।

उक्त नियम का पालन न करने पर हॉस्टल से निष्कासित कर दिया जाएगा ।